प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 03964/2025-2026 दिनांक 30/12/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/LUC/16143/2025-2026 पत्रावली संख्या:I-163103 दिनांक:2010-2011

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि दिशा मानव कल्याण एवं उत्थान समिति, 1/11,विशाल खण्ड,गोमती नगर लखनऊ, लखनऊ , 226010 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 2234/2010-2011 दिनांक-29/11/2010 को दिनांक-29/11/2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Anand Kumar Singh)
9ECEDFA3AFCDCA5C64E54884F0E7817BC656D9ED
Date: 30/12/2025 5:00:38 PM, Location: Lucknow.

जारी करने का दिनांक-30/12/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP31226627498382Y

Certificate No.	:	IN-UP31226627498382Y
Certificate Issued Date	:	27-Apr-2026 06:21 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up15160304/ SAROJINI NAGAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1516030457465342577886Y
Purchased by	:	DISHA MANAV KALYAN EVAM UTTHAN SAMITI
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DISHA MANAV KALYAN EVAM UTTHAN SAMITI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	DISHA MANAV KALYAN EVAM UTTHAN SAMITI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

KUSHELENDRA KUMAR UPECOLUP 15160304 LKO 39 Sarojani Nagar, Lko.

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर...दिशा मानव कल्याण एवं उत्थान समिति.......

जिला.....लखनऊ.......फाइल नं0..163/03..

के.....सोसा० रजि० पत्र.......के साथ संलग्न है

सत्य प्रतिलिपि

28/4

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स लखनऊ मण्डल लखनऊ

28/4/26

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP31229232165207Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

KUSHELENDRA KUMAR
UPESOLUP
15160304
LN 739
Sarojini Nagar, Lko.

Certificate No.	:	IN-UP31229232165207Y
Certificate Issued Date	:	27-Apr-2026 06:22 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up15160304/ SAROJINI NAGAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1516030457469630550004Y
Purchased by	:	DISHA MANAV KALYAN EVAM UTTHAN SAMITI
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DISHA MANAV KALYAN EVAM UTTHAN SAMITI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	DISHA MANAV KALYAN EVAM UTTHAN SAMITI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर दिशा मानव कल्याण एवं उत्थान
समिति
जिला लखनऊ फाइल नं० 163/03
को संशोधित नियमावली के साथ संलग्न है

निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ मण्डल, लखनऊ

सत्य प्रतिलिपि
28/4
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
28/4/26

Statutory Alert:

15

संशोधित स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम :: दिशा मानव कल्याण एवं उत्थान समिति ।
(2) संस्था का पता :: 1/11 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण भारत वर्ष ।
(4) संस्था के उद्देश्य ::

1. बलक,बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षा विभाग के मानकों के अनुसार शिक्षण–संस्थाओं की स्थापना कर संचालित करना तथा उनके पठन पाठन की समुचित व्यवस्था करना ।
2. पल्स पोलियों,ड्राप एड्स ,कैन्सर,टी0बी0हेपेटाइटिस मधुमेह,नशामुक्ति,कुष्ठ रोड मलेरिया एवं जानलेवा रोगों की पहचान/जाँच कर उसकी रोकथाम के उपाय करना तथा जागरूकता शिविरों की आयोजन कर उनका उन्मूलन करना ।
3. महिलाओं/बालिकाओं तथा युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढाई बुनाई शिल्पकला ब्यूटीशियन कोर्स,हस्तशिल्पकला,ललित कला,संगीत,गायन, वादन,फैशन डिजाइनिंग,चिकन,प्रिन्टिंग जरी ज्वैलरी,मेकिंग,मेंहदी,बाल पेन्टिग,मिट्टी के बर्तन फलावर अचार,मुरब्बा,फल संरक्षण,खादी तथा कलात्मक बस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाक उन्हें स्वावलम्बी बनाना तथा हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा तथा तथा हस्तशिल्पियों के विकास एवं उत्थान एवं पुर्नवास की समुचित व्यवस्था कराना ।
4. अनु0जाति,जनजाति,कमजोर बर्ग एवं पिछडे,अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं/महिलाओं हेतु आधुनिक शिक्षण संस्थाओं जैसे–कम्प्यूटर शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा तथा इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण केन्द्रो की निःशुल्क व्यवस्था की संचालित करना तथा बेरोजगार बालक-बालिकाओं के लिए हार्डवेयर /साफ्टवेयर का निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था कर संचालित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ।
5. राज्य सरकार ,केन्द्रसरकार ,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड,महिला कल्याण निगम,हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालयविभाग,नाबार्ड,कपार्ट,सिडवी,सिफ्सा अल्पसंख्यक विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,खादी ग्रामोद्योग आयोग,ग्रामोद्योग बोर्ड,कृषि मंत्रालय विकास विभाग मद्य निषेद्य,सांस्कृतिक,प्रौढ़ शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा एवं बाल विकास कल्याण निदेशालय,बागवानी बोर्ड,यूनीसेफ,विकलॉग विभाग एवं महिला कोष ग्राम्य विकास विभाग,ग्रामीण मंत्रालय परिवार कल्याण मंत्रालय,हाल्टिकल्चर विभाग, पिछडा वर्ग विभाग,वन विभाग,सांसद निधि विधायक निधि से सहायता प्राप्त करना व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कार्य करना ।
6. समाज के मूक–बधिर, बहरे,लंगडे लोगों के शैक्षिक,बौद्विक विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण संस्थायें खोलना तथा योग्यतानसार शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना ।
7. मेधावी छात्रों के लिए मेडिकल/इंजीनियरिंग कालेज आदि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना शासन की अनुमति के उपरान्त करना व समाज की मुख्य धारा स जोडने के लिए सतत प्रयास करना ।
8. वीमेन एण्ड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रोकथाम हेतु उपाय करना तथा उनके संरक्षण एवं पुर्नवास हेतु समुचित प्रबन्ध कराना ।
9. बिधवा निराश्रित ,प्रताडित ,पीडित असहाय ,परित्यक्ता तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के बच्चे –बच्चियों को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को उपलब्ध कराना ।
10. शासन द्वारा संचालित ट्राइसेम योजना,एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओं तथा बेरोजगरों को निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना तथा महिला/युवकों के समूहों का प्रचार करना ।

सत्य प्रतिलिपि

28/4/21

17

11. जल संचयन वर्षाती पानी के रोकना तथा कपार्ट द्वारा संचालित योजनाये एवं ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत किशोरी शक्ति योजना,महिला सशक्तिकरण योयजनाओं का संचालन करना ।
12. समाजिक कुरीतियों,जैसे–दहेज प्रथा मद्यपान,महिला उत्पीडन,घरेलू हिंसा अस्पृश्यता निवारण धूम्रपान ,नशा उन्मूलन तथा मानवधिकार आयोग के सहयोग से मामलो का निरस्तारण कराना एवं समय–समय पर विचार गोष्ठियों/शिविरों का के माध्यम से जन हित में प्रचार प्रसार करना ।
13. ग्रामीण स्वच्छता शुद्व पेयजल,ग्रामीण अंचलों में जल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यकमों का प्रचार प्रसार करना तथा हैण्डपम्प नाली सम्पर्क मार्ग खडंजा,आदि की समुचित व्यवस्था कराने का प्रयास करना ।
14. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,उ0प्र0अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कमीशन जिला–उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योगों कुटीर उद्योगों रेशम उद्योग की स्थापना व प्रचार प्रसार करना ।
15. मुस्लिम वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए उर्दू अरबी,हिन्दी,अंग्रेजी तथा फारसी भाषाओं के तालीम की व्यवस्था करना तथा मदरसा ,मकतब की व्यवस्था शिक्षा विभाग के मानकनुसार संचालित करना ।
16. आवासीय विद्यालय अनावासीय विद्यालय,मिड डे स्कूल महिला,श्रमजीवी,आवास एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था कर संचालित करना ।
17. बालबाडी,ऑगनवाडी,पालनाघर क्रैच शिशु रक्षा केन्द्र बाल आश्रम अनाथालय बिधवा आश्रम बृद्वाश्रम एवं बाल सम्प्रेषण गृह केन्द्र की व्यवस्था करना तथा बच्चों के आहार एवं निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करना ।
18. रक्तदान नेत्र चिकित्सा नेत्रदान परिवार नियोन ,दुर्घटना पीडितों उत्तम स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण आदि कार्यकर्मों को स्वास्थ्य विभाग के अनुमति के उपरान्त कराना ।
19. ज्ञानवर्धन हेतु निःशुल्क पुस्तकालय ,वाचनालय की स्थापना करना तथा स्वाध्याय द्वारा व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरित करना एवं सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी जन–2तक पहुँचाना ।
20. आकस्मिक आपदा जैसे महामारी,सूखा,बाढ,आग्निकाण्ड ओलावृष्टि,तूफानं,भूकम्प,सडक दुघर्टना एवं सडक सुरक्षा आदि के समय सम्बन्धित पीडितों की हर सम्भव सहायता करना ।
21. कमजोर उपेक्षित,दलितों पिछडों के उत्थान हेतु विकास कार्य एवं बाल कानून का समर्थन,करते हुये बाल श्रम विद्यालय की स्थापना कर संचालित करना एवं स्ट्रीट चिल्ड्रेन बच्चों को संरक्षण देते हुये बौद्विक विकास हेतु यथा संभव प्रयास करना ।
22. युवा खिलाडियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं को कराकर उन्हे जिला स्तर प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक खेल में सम्मिलित करना तथा कुशल खिलाडियों को पुरस्कृत करना व खेल के प्रति रूचि पैदा करना ।

सत्य प्रतिलिपि

28/4

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

28/4/26

(3)

23. पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन तथा वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना ।
24. डिजटल एजूकेशन एवं स्मार्ट लर्निंग सेन्टर की स्थापना करना तथा आर्टिफीशियल इंटलीजेन्ट्स एवं साइबर सुरक्षा की जागरूकता प्रदान करने हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।
25. पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, मियांवाकी विधि पद्धति द्वारा बृक्षारोपण एवं हरितक्षेत्र का विकास करना ।
26. सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प एवं बायो–डीग्रेडेबल उत्पादों का प्रचार प्रसार करना ।
27. ठोस अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग करना तथा जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन एवं बायो उत्पाद का निर्माण करना ।
28. किसानों, महिलाओं एवं युवाओं को उन्नत बागवानी तकनीकों, वर्टिकल फारमिंग, हाइड्रोफोनिक्स एवं औषधीय एवं सुगन्धित पौद्यो की खेती के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना ।
29. महापुरूषों की जयन्ती, पुण्य तिथि एवं शताब्दी समारोहो का आयोजन करना ।
30. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त कार्यकमों का संचालन करना एवं उसका प्रचार प्रसार करना ।

(सत्यप्रतिलिपि)

हस्ताक्षर::

Pramendra

Brijesh

संदीप

Chhakarand

सत्य प्रतिलिपि
28/4
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
28/4/26

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

92AE 052343

यह जनरल स्टाम्प पेपर दिशा मानव कल्याण एवं उत्थान समिति

जिला ... 2023-24 फाइल नं. 163103

के लखनऊ के साथ संलग्न है

लखनऊ मण्डल, उ०

सत्य प्रतिलिपि

सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

02/03/2024

दिशा मानव कल्याण एवं उत्थान समिति
पता–1/11विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ
के प्रबन्धकारिणी समिति की सूची :—2023–24

क्र0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री प्रमेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र श्री शिव सहाय उपाध्याय	1/11 विशाल खण्ड गोमती नगर जिला–लखनऊ	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री योगेन्द्र नाथ पुत्र विश्वनाथ	तेनुआ पोस्ट टिनिप वस्ती	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्री हिमान्शू चतुर्वेदी पुत्र श्री संजय चतुर्वेदी	एम0 एम0 आई0 जी0 256 रामनगर ,कालोनी,एल0डी0ए0कालोनी ऐशबाग लखनऊ	प्रबन्धक	समाजसेवा
4	श्री बृजेश कुमार तिवारी पुत्र स्व0राम मिलन तिवारी	14/1205 इन्दिरा नगर लखनऊ	सचिव	समाजसेवा
5	श्री राजकुमार यादव पुत्र श्री पुरूषोत्तम यादव	14/1205 इन्दिरा नगर लखनऊ	कोषाध्यक्ष	समाजसेवी
6	श्री सन्दीप कौशल पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र गुप्ता	एस0ई0–2/325,सेक्टर-5 ई.वृन्दावन योजना लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा
7	मन्जू देवी पुत्री मुन्नालाल	टहिमनं सुल्तानपुर उ0प्र0	सदस्य	समाजसेवा

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

12/03/2024

Chaturvedi

राजकुमार

12

संशोधित नियमावली

(1) संस्था का नाम :: दिशा मानव कल्याण एवं उत्थान समिति ।
(2) संस्था का पता :: 1/11 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण भारत वर्ष ।
(4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

सदस्यता ::

इसमें वे सभी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों में आस्था रखते हों सदस्य बनाये जा सकेगें । सदस्यता हेतु अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

आजीवन सदस्य::

जो व्यक्ति संस्था को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त रूपया 5000/- नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य ::

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रूपया 100/-वार्षिक प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

संरक्षक सदस्य ::

समाज के प्रतिष्ठित, सुशिक्षित एवं गणमान्य व्यक्ति जैसे विधायक, सांसद,कलाकार,पत्रकार, शिक्षाविद एवं अन्य प्रतिष्ठित व समाजसेवी व्यक्ति ,प्रशासनिक एव अन्य उच्च सेवाओं के व्यक्तियों को प्रबन्ध-कारिणी समिति के अनुमोदन से संस्था का संरक्षक सदस्य मनोनीत किया जायेगा ।

Premendra
Brijesh
संदीप
H lakumudi

(5) सदस्यता की समाप्ति::

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
6. अविश्वास प्रस्ताव एवं त्याग-पत्र पारित होने पर।
7. बिना सूचना दिये लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर

(6) संस्था के अंग::

(अ) साधारण सभा।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभा::

गठन ::

संस्था के आजीवन सदस्यों ,सामान्य सदस्यों एवं संरक्षक सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

सत्य प्रतिलिपि
29/4/22

(2)

बैठकें::

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एकबार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि ::

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति ::

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि ::

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगीं ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य ::

1–प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2–संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
3–संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति ::

गठन ::

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें,अध्यक्ष–एक,उपाध्यक्ष–एक, प्रबन्धक–एक,सचिव–एक, कोषाध्यक्ष–एक,सदस्य–02 होगें। इस प्रकार कुल संख्या 07 होगी। आवश्यकतानुसार सदस्य संख्या बढाई व घटाई भी जा सकेगी परन्तु न्यूनतम संख्या 7 व अधिकतम संख्या 21 तक ही की जा सकेगी।

बैठकें ::

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि ::

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति ::

प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति होगी ।

सत्य प्रतिलिपि
28/4/2
28/4/26

(3)

रिक्त स्थानों की पूर्ति ::

प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत जब कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य ::

1–संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2–संस्था की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट तैयारकरना।
3–उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकायों, दानशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकरा, सिपसा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, आक्सकाम इण्डिया, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, केयर, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ0प्र0, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, वन विभाग ,वन मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, पशुधन विकास मंत्रालय, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, उ0प्र0/केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण मंत्रालय, अल्प संख्यक विभाग/बोर्ड उ0प्र0 अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव फाउण्डेशन, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, विकलांग कल्याण निदेशालय, उद्यान विभाग उ0प्र0,राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं,बैंकों, सांसद निधि, विधायक निधि तथा अन्य स्रोतों से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
4–संस्था के लिए चल–अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।
5–संस्था की शाखाओं एवं उपसमितियों का गठन करना ,उनका कार्य निर्धारण करना एवं उन पर नियन्त्रण रखना ।

कार्यकाल ::

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच साल का होगा।

(9) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य ::

अध्यक्ष ::

1–समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2–बैठकों के लिए तिथि अनुमोदन करना, तिथियों में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।
3–समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4–बैठक में शांति व्यवस्था कायम करना।
5–संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

सत्य प्रतिलिपि

22/4/26

6–संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
7–प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
8–पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
9–राजकीय सहायता, अनुदान, ऋण प्राप्त करना।
10–संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति की रक्षा करना और उस पर नियंत्रण रखना।
11–सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।
12–वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन,पदोन्नति वेतन वृद्धि, निलम्बन व बहाली करना।
13–समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
14–संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
15–संस्था से सम्बन्धित समस्त बिल व वाउचरों,अनुबन्ध पत्रों, संविदों, आहरण पत्रों, नियुक्ति पत्रों, लेखों–विलेखों,बन्धक पत्रों, ऋण पत्रों, डिमान्ड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।

Pramod

Brijesh

संदीप

Dharmendra

<u>उपाध्यक्ष</u>::

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को पूरा करेगा एवं उसके कार्यों में सहयोग करेगा।

<u>प्रबन्धक</u> ::

1.प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना ।
2.पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृत देना ।
3.समस्त बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना ।
4.बै०कों की कार्यवाही लिपिबद्व करना ।
5.संस्था के अध्यक्ष के साथ सहयोग करना ।
6.संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना ।

<u>सचिव</u>

1–संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
2–संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना ।
3–संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना ।
4–बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना ।
5–बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना ।
6–सदस्यों का नाम रजिस्टर पर लिखना ।
7–संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना ।

सत्य प्रतिलिपि
28/4
28/4/22

5

कोषाध्यक्षः:

1—आय—व्यय का लेखा—जोखा रखना।
2—दान, चन्दा, सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।
3—समिति के आकस्मिक कार्य हेतु 5000/—रूपये तक नकद रखना।
4—अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
5—संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

(10) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया ::

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जायेगा।

(11) संस्था का कोष ::

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/सहकारी बैंक/शेड्यूल्ड बैंक/पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन (आहरण) अध्यक्ष,एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(12) संस्था के आय—व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) ::

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा ।

(13) संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा ।

(14) संस्था के अभिलेख ::

1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर ।
3. स्टाक रजिस्टर।
4. एजेण्डा रजिस्टर ।
5. कैश बुक आदि।

(15) संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :

हस्ताक्षरः:

सत्य प्रतिलिपि
28/4/26